

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board)

S.No. PC-V/461
No. PC-V/97/1/9/6

RBE No. 182/2005
New Delhi, Dated 27.10.2005

TheGMs/CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per standard mailing list)

Sub : Grant of Dearness Relief to Railway Pensioners/Family Pensioner – revised rates effective from 01.07.2005.

A copy of Office Memorandum No.42/2/2005-P&PW(G) dated 14.10.2005 of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Pension and Pensioners' Welfare) on the above subject is sent herewith for your information and necessary action. As stated in para 2 thereof, these orders will apply to Railway pensioners also.

2 A concordance of various instructions and orders referred to in the enclosed office memorandum with reference to corresponding Railway instructions is indicated below :-

S.No.	Para No.	No. & date of Deptt. of Pension & Pensioners' Welfare's O.M.	No. & date of Corresponding orders issued by Railway Board
1.	1	42/2/2004-P&PW(G) dtd.4.4.2005.	PC-V/97/1/9/6 dtd. 26.4.2005 (RBE No.69/2005, S.No.PC-V/454)
2.	2	23/1/97-P&PW(B) dt.23.2.98	N.A.
3	3	4/59/97-P&PW(D) dt.14.7.98 4/29/99-P&PW(D) dt.12.7.2000	F(E)III/96/PN1/9 dt. 18.8.98 F(E)III/96/PN1/9 dt. 2.8.2000 RBE No.138/2K
4.	4&5	45/52/97-P&PW(E) dt. 16.12.97	(i) F(E)III/97/PN1/Ex-gratia/3 dt. 31.12.97 (RBE No.194/97, S.No.PC-V/28) (ii) F(E)III/97/PN1/Ex-gratia/5 dt.27.1.98 (RBE No.19/98, S.No.PC-V/38)
5	7	45/73/97-P&PW(G) dt.2.7.99	F(E)III/99/PN1/21 dt.5.8.99

4. Hindi version is enclosed.

DA : As above

P.K.Goel
26/10/05
(P.K.GOEL)
Director, Pay Commission
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

कम संख्या पी.सी.वी/46/
सं.पी.सी.वी/97/आई/1916

आर.बी.ई.सं.182/2005
नई दिल्ली, दिनांक 27.10.2005

महाप्रबंधक।वि.का.धि.।मु.प.अ.,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि
(मानक डाक सूची के अनुसार)


विषय :- रेल पेंशनरों।परिवार पेंशनरों को 1.7.2005 से प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता पदान करना.

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक,जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग) के दिनांक 14.10.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं.42/2/2004-पी एंड पी डब्ल्यू (जी) की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु संलग्न है . उसके पैरा 2 के अनुसार यह आदेश रेल पेंशनरों पर भी लागू होंगे.

2. रेलवे के समनुरूप अनुदेशों के संदर्भ में संलग्न कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न अनुदेशों और आदेशों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

क.सं.	पैरा सं.	पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग का ज्ञापन सं. एवं तारीख	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी तदनुसंगी आदेशों की सं. एवं तारीख
1.	1	42/2/2004-P&PW(G) dtd.4.4.2005.	PC-V/97/1/9/6 dtd. 26.4.2005 (RBE No.69/2005, S.No.PC-V/454)
2.	2	23/1/97-P&PW(B) dt.23.2.98	N.A.
3	3	4/59/97-P&PW(D) dt.14.7.98 4/29/99-P&PW(D) dt.12.7.2000.	F(E)III/96/PN1/9 dt. 18.8.98 F(E)III/96/PN1/9 dt. 2.8.2000 RBE No.138/2K
4.	4&5	45/52/97-P&PW(E) dt. 16.12.97	(i) F(E)III/97/PN1/Ex-gratia/3 dt. 31.12.97 (RBE No.194/97, S.No.PC-V/28) (ii) F(E)III/97/PN1/Ex-gratia/5 dt.27.1.98 (RBE No.19/98, S.No.PC-V/38)
5	7	45/73/97-P&PW(G) dt.2.7.99	F(E)III/99/PN1/21 dt.5.8.99

संलग्नक: यथोक्त


 (प्रभात गौयल)
 निदेशक वेतन आयोग
 रेलवे बोर्ड

संख्या-42/2/2005-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 14 अक्टूबर 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दिनांक 01-07-2005 से महंगाई राहत की संशोधित दरें प्रदान करना ।

मुझे दिनांक 01-01-2005 से देय महंगाई राहत की संशोधित दरों की मंजूरी संबंधी, इस विभाग के दिनांक 04-04-2005 के का० ज्ञा० सं० 42/2/2005-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी) का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 04-04-2005 के कार्यालय ज्ञापन में दी हुई दरों के अधिक्रमण में दिनांक 01-07-2005 से 21% की दर पर महंगाई राहत दी जाए ।

2. ये आदेश इन पर लागू हैं (1) केन्द्र सरकार के सभी सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों (2) सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से पेंशन प्राप्त करने वाले सिविलियन पेंशनभोगियों (3) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगियों (4) रेलवे पेंशनभोगियों तथा (5) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों और पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों के कुटुम्ब, जो भारतीय नागरिक हैं, किन्तु पाकिस्तान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और इस विभाग के दिनांक 23-02-1998 के का० ज्ञा० सं० 23/1/97-पी. एण्ड पी. डब्ल्यू.(बी) के अनुसरण में 1275/-रुपये प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह भत्ता ले रहे हैं ।

3. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में संविलियन होने पर, एकमुश्त राशि आहरित कर ली थी तथा इस विभाग के दिनांक 14.07.98 के का० ज्ञा० सं० 4/59/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(डी) के अनुसरण में पेंशन के एक तिहाई सारांशीकृत भाग की बहाली के साथ-साथ बहाल राशि के संशोधन के हकदार हो गये हों, 01-07-2005 से, पूर्ण पेंशन पर अर्थात् बहाली की तारीख को संशोधित पेंशन जिसके हकदार संविलित कर्मचारी होते यदि वे संविलियन के समय एकमुश्त राशि आहरित न करते, 21% की दर पर महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे, बशर्ते कि वे दिनांक 14.07.98 के का० ज्ञा० सं० के पैरा 5 में दी हुई शर्तें पूरी करते हों । इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.07.2000 के का० ज्ञा० सं० 4/29/99-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(डी) में निहित अनुदेशों को देखें ।

4. जीवित अंशदायी भविष्य निधि के लाभग्राही, जो 18.11.1960 से 31.12.1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए और इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के का० ज्ञा० सं० 45/52/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(ई) के तहत 01.11.1997 से 600/- रु० प्रतिमाह की दर से अनुग्रह भुगतान ले रहे हैं, दिनांक 01.07.2005 से 21% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं ।

5. इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के 45/52/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(ई) के अनुसरण में, अनुग्रह भुगतान ले रहे,

अंशदायी भविष्य निधि के लाभग्राहियों की निम्नलिखित श्रेणियों को 01-07-2005 से 13% की दर से महंगाई राहत देना होगी :-

- (i) 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त दिवंगत अंशदायी भविष्यनिधि के लाभग्राहियों की विधवायें तथा आश्रित बच्चे अथवा 01.01.1986 से पूर्व सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त और 605/- रु० प्रतिमाह अनुग्रह भुगतान ले रहे हों ।
- (ii) अंशदायी भविष्यनिधि के लाभग्राहियों, केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये और 654/-रु०, 659/- रु०, 703/- रु० तथा 965/-रु० की अनुग्रह राशि ले रहे हों ।

6. महंगाई राहत की अदायगी करते समय पैसों को पूर्णांकित करते हुए निकटतम रूप में बदल दिया जाए ।

7. नियोजित कुटुम्ब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के संबंध में महंगाई राहत को विनियमित करने वाले अन्य उपलब्ध इस विभाग के दिनांक 02.07.1999 के का० ज्ञा० संख्या-45/73/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी) में निहित उपबंधानुसार विनियमित होंगे । एक से अधिक आहरित पेंशन के मामले, महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध वैसे ही रहेंगे ।


8. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग के द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे ।

9. राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारियों की अब यह जिम्मेवारी होगी कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में महंगाई राहत की गणना करें ।

10. महालेखाकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकृत बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित दिनांक 23.04.1981 के पत्र संख्या 528-टी.ए.11/84-80-11 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके अधीनस्थ सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित दिनांक 21.05.1981 के परिपत्र संख्या GANB संख्या 2958/GA-64(ii)(CGL)/81 को देखते हुए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपयुक्त आदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने की व्यवस्था करें ।

11. जहाँ तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा के विभाग के कर्मचारियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किये जाते हैं ।

12. इसे, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 13.10.2005 की उनकी अ.टि.सं० 400/ईV/2005 के अंतर्गत दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है ।


(एम. पी. सिंह)
निदेशक


सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को प्रेषित ।

No. PC-V/97/1/9/6


New Delhi, dated 27.10.2005

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), New Delhi.


B. N. Mohapatra
For Financial Commissioner, Railways

Copy to:-

1. The GMs, N.F. Railway (Const.), CAO, SR (Const.) and CR (Const.)
2. FA & CAOs, All Indian Railways, PUs, NFR (Const.), SR (Const.) & CR (Const.)
3. The Director General, RDSO/Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. The CAO and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
7. The Principal, Railway Staff College/Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP(R)/Mumbai
9. The CAO (Const.), MTP(R)/Chennai
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/Secunderabad
12. The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR, Executive Director, CRIS
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi
14. O/o Chief Project Administrator (Telecom), IRCOT Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi.
15. The Director (Movement), Railways/Calcutta
16. The Joint Director(Finance), RDSO, Lucknow
17. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence
18. The Joint Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street/Calcutta
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi
21. The Chairman, RCT/Delhi
22. The Chairman, RRT/Chennai
23. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Calcutta, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum
24. The Editor, 'Bhartiya Rail', Room No.469, Rail Bhawan.
25. The Editor 'Indian Railways', Room No.411, Rail Bhawan.
26. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
27. The General Secretary, IRCA, DRM Office Complex, State Entry Road, New Delhi
28. The Commissioner, Railway Safety/Lucknow
29. M/s Bahri Brothers, Lajpat Rai Market/Delhi
30. The Editor, 'Rail Rajbhasha', Rom No.543, Rail Bhawan
31. Rail Vikas Nigam Limited, C-2/10, Safdarjung Development Area, Aurbindo Marg, ND-16


(P.K.GOEL)

Director, Pay Commission
Railway Board

No.PC-V/97/II/9/6

New Delhi, dated 27.10.2005

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3. The Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi 110001.
4. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)

Handwritten signature
for Secretary, Railway Board

Copy forwarded to :-

The Secretary General FROA
The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association
The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association
The Secretary General, IRPOF
The Secretary General, All India RPF Association
The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association
The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association

Copy to :-

PPSs/PSs/Sr. PAs/PAs to :-

MR, MSR(D), MSR(B), CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, Secretary, DG/RHS, DG/RPF, AM(B), AM(CE), AM(C), AM(C&IS), AM(Elec), AM(F), AM(Plg), AM(Projects), AM(Sig), AM(MS), AM(Mech), AM(PU), AM(RS), AM(T&C), AM(Telecom), AM(T), AM(Vig), AM(Works), Adv(F), Adv(IR), ED(Plg), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Chg), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg), EDME(Fr), EDME(Tr), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), EDPC-I, ED(PP), ED(Proj)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(P), EDRS(G), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTrack(M), EDTrack(MC), EDTrack(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), JS, JS(G), JS(E), JS(C), DS(D), DS(G), DF(E), IDPG, DE(N), Dir(MPP), DE(G), JDPC-I, JDPC-II, JDE(N), JDE(P&A), JDE(GC), JDE(Gaz), JDE(W), JDE(GP), JDE(Res.) I, JDE(L), DDF(E) I, II & III, US(D), USE(O)I, US(D&A) I & II, DDE(LR) I, II & III/Railway Board

Copy to :-

Cash - I, II, & III, Budget, E(P&A) I & II, E(G), E(NG) I & II, PC - III & IV, E(Trg.), E(MPP), E(LR) I & II, F(E) - I, II & III, F(E) Special, Security (E), Accounts III, ERB - I, II, III, IV, V & D, G(Pass), G(Acc), E(Welfare), E(SCT), E(O) I, II III & III(CC), E(GR) I & II, E(GP), E(GC), PR, E(D&A)/branches of Railway Board.

(Authority DOP&PW(G)'s OM No.42/2/2005-P&PW(G) dated 14th October, 2005)

φφφφφ